कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद सम्भल

संख्या जि0आ0आ0/सम्भल/अनु0दे0/वि0म0दि0/बीयर/मा0शा0/वर्ष 2018–19/दिनांक / .2018.

आवश्यक सूचना

समस्त अनुज्ञापी
देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर फुटकर दुकान
एवं मॉडल शॉप जनपद सम्भल वर्ष 2018–19

वर्ष 2018–19 के देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर के फुटकर बिक्री के एवं माडल शॉप के अनुज्ञापियों को अवगत कराना है कि आबकारी नीति 2018–19 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत शासकीय पत्रांक-07/2018/218 ई–2/तेरह–2018–46/2017 लखनऊ दिनांक 25.01.2018 में निम्नवत् उल्लिखित है:–

1– **देशी शराब के फुटकर बिक्री के दुकानों का वर्ष 2019–20 हेतु नवीनीकरण:–**

देशी शराब की फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों द्वारा निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 से 06 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निकासी लिये जाने की स्थिति में वर्ष 2019–20 हेतु तत्समय निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जायेगी।

2– **विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण:–**

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों में वर्ष 2018–19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रतिफल शुल्क होने की स्थिति में वर्ष 2019–20 हेतु तत्समय निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जाएगी।

3– **बीयर के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण:–**

बीयर के फुटकर दुकानों में वर्ष 2018–19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपभोग होने की स्थिति में वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जाएगी।

4– **माडल शॉप के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण:–**

माडल शॉप में वर्ष 2018–19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रतिफल शुल्क होने की स्थिति में विदेशी मदिरा तथा 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक बीयर का उपभोग होने की स्थिति मे वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जाएगी।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपनी–अपनी दुकानों पर तद्नुसार प्रतिफल शुल्क अदायगी/उपभोग कराना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
सहायक आबकारी आयुक्त
सम्भल

संख्या 602(1-3) तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–

1–आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र 1,2, व 3 जनपद सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने–अपने क्षेत्र में स्थित आबकारी दुकानों के अनुज्ञापियों को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

2–समस्त सी0एल0–2, एफ0एल0–2/एफ0एल0–2 बी जनपद सम्भल को निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये एवं फुटकर अनुज्ञापियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

3–एन0आई0सी0 सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त सूचना को जनपद के पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
सहायक आबकारी आयुक्त
सम्भल

Scanned by CamScanner